(6

3-6-2016

राग वि लोक अदालत माध्य आपके
द्वारा के तहत उभयपक्ष की
सुनवाई हेतु नोटिस जारी होने
से बाद पंचायती अन्य राजस्व
लोक अदालत सरल विवा के
गुणदोष पारमाण पर पेश हुई
प्रार्थी के वकील व प्रतिपक्षी
1 व 2 ने प्रार्थी का मूल वाद
डिक्री हो जाने के ए० प्रा० पत्र
के चलने का कोई औचित्य
नहीं है सत्र प्रा० पत्र खारिज
किया जाता है पंचायती मौलवसूद
होना सबूत से सिद्ध है तथा
वादिनी मूल वाद हो

लाजवन्तीबाई

बदीचन्द

Scanned by CamScanner